10/4/26 पत्रावली पेश हुई, प्रार्थीगण उपस्थित, प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत स्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र वादीगण अधिवक्ता द्वारा एक तरफा बहस सुनी गई, प्रार्थी अधिवक्ता ने अपनी बहस मे वही कथन किये जो प्रार्थना पत्र मे निहित है, अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस मे निवेदन किया की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या नया (27) व पुराना (29) में वर्णित आराजीयात् 288, 289, 290, 291 किता 04 कुल रकबा 0.5400 हेक्टेयर भूमी स्थित है। उक्त भूमी पर प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है, अप्रार्थी संयुक्त संम्पति को विक्रय करने की नियत से सम्पूर्ण संयुक्त भूमी पर कब्जा किया जा रहा है, तथा मकान निर्माण हेतु मौके पर पत्थर

तुलसीराम
मनोहर
राजमल

तुलसीराम
मनोहर
राजमल

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लसाडिया, जिला–सलुम्बर (राज.)

बनाम

मुकदमा पत्रावली संख्या सन

तारीख हुक्म	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी

डाले जा रहे हैं, प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से मना किया गया परन्तु अप्रार्थी अपनी ताकत के बल पर प्रार्थीगण के साथ मारपीट करने को उतारू है, अप्रार्थीगण को उक्त कृत्य करने से नहीं रोका गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है, अतः अपनी बहस में अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से रोके जाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा जारी फरमाये जाने का निवेदन किया।

हमने प्रार्थी की एक तरफा बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया मौजा कूण पटवार हल्का कूण नं. अ. निरीक्षक कूण की जमाबन्दी संवत् 2075-2078 के खाता संख्या नया (27) व पुराना (29) में वर्णित आराजीयात् 288, 289, 290, 291 किता 4 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमी के अवलोकन से वाद ग्रस्त आराजी के प्रार्थी व अप्रार्थी की संयुक्त खातेदारी है। जब तक संयुक्त खातेदारी का विधिवत् घोषणा नहीं हो जाती तब तक प्रत्येक इंच का मालिक एवं स्वामी होता है। अप्रार्थी संयुक्त पर कब्जा करने को आमादा है जिससे प्रथम दृष्टया प्रार्थी के पक्ष में लेख प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी को उक्त कृत्य करने से रोका जाना उचित प्रतीत होता है। अतः मौजा कूण की जमाबंदी सम्वत् 2075-2078 के खाता संख्या नया (27) व पुराना (29) में वर्णित आराजीयात्

तारीख हुक्म / हस्ताक्षर पार्टी	कार्यवाही विवरण	
	288, 289, 290, 291 किता 04 कुल रकबा 0.5400 हैक्टेयर भूमी का मौके एवं रेकॉर्ड की यथा स्थिति व मूल वाद निस्तारण होने तक उक्त आराजी पर स्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाता है, स्थायी निषेधाज्ञा का जमाबन्दी मे नोट अंकित करने हेतु लिखा जावे, पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम किया जावे।	